कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ दिनांक :

समस्त वनाधिकारीगण

....

विषय :– स्वैच्छिक सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर अग्रेषित किए जाने के कम में।

सन्दर्भः– निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्रांक एफ 12 (26)/कमप्यू/आई.एफ. पी.एम.एस./10/141–यू/ दिनांक 25.10.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया हैकि वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत (**Voluntary Retirement**) होने वाले कार्मिको के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन आई.एफ.एम.एस. 2.0 वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 द्वारा यह निर्देशित किया गया हैं कि जून 2023 से अधिवार्षिकी पर पर निस्तारित किए जा रहे हैं।

दिनांक 25.10.2023 के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के पेंशन प्रकरण, ऐसे कार्मिक जिनका वेतन पे–मैनेजर से आहरित होता हैं उनका पेंशन प्रकरण भी आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ऑनलाइन अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार

भवदीया

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ 6265-85 दिनांक 27.10.23

प्रतिलिपिः–निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
3. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौघोगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) मुख्यालय राजस्थान जयपुरको भिजवाकर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पालना हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
6. नोडल अधिकारी (आई.एफ.एम.एस. 3.0) प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

I.A.
DCF(IT)
3/11/2023

RajKaj Ref
4971604

Signature valid

Digitally signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date: 2023.10.27 16:48:42 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट – pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक – एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/ दिनांक

समस्त विभागाध्यक्ष

विषय :– स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (Voluntary Retirement) होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण Online IFPMS 2.0 पर निस्तारित किये जा रहे है।

दिनांक 25.10.2023 के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कार्मिक जिनका वेतन Paymanager से आहरित होता है, उनका पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर ऑनलाईन अग्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(डॉ० देवराज)
निदेशक
दिनांक : 25.10.2023

क्रमांक :– एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/1417-U

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 परियोजना निदेशक (IFMS 3.0)एवं अतिरिक्त निदेशक(IFMS), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान।

2 अतिरिक्त निदेशक(मुख्यालय/नियम/प्रशासन/पीजीआरसी) जयपुर, राजस्थान।

3 अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर।

4 श्री योगेश सिंह परमार निदेशक(IT) एन.आई.सी. जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार दिनांक 25.10.2023 के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पेंशनर्स जिनका वेतन Paymanager से आहरित होता है, के पेंशन प्रकरण IFPMS 2.0 पर रोकने का प्रावधान करने का श्रम करावें। जिन पेंशन प्रकरणों के LR Number IFPMS 2.0 से generate हो गये है साथ ही 25.10.2023 से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्त है वह सभी प्रकरण भी IFPMS 2.0 पर ही Settle होंगे।

5 श्रीमती मोनिका चौधरी, संयुक्त निदेशक (आई.टी.), IFMS 3.0 Team जयपुर को प्रेषित कर लेख है उक्तानुसार दिनांक 25.10.2023 के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्राप्त करने का प्रावधान IFMS 3.0 में सुनिश्चित करावे।

संयुक्त निदेशक (I.T.)

https://web.whatsapp.com